1	खेमराज बनाम मांगीलाल नियमित दीवानी प्रकरण संख्या 11/2018	

16.01.2020

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित ।

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के द्वारा उक्त वाद विभाजन हेतु पेश किया गया है जिसमें श्रीमती गंगाबाई द्वारा निष्पादित अंतिम इच्छापत्र दिनांक 06.05.96 के संबंध में अपने को 1/2 भाग का स्वामी तथा प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का स्वामी मानकर यह वाद प्रस्तुत किया है। अंतिम इच्छापत्र के अनुसार मकान के उत्तर की तरफ दो कमरे प्रथम मंजिल पर, दो कमरे द्वितीय मंजिल पर बने हुए हैं, जो वादी को दिये गये हैं और जो प्रतिवादी के आधिपत्य में हैं, को प्राप्त करने हेतु विभाजन का वाद पेश किया है। साथ ही इन कमरों पर प्रतिवादी कोई निर्माण कार्य नहीं करे, इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही है। अंतिम इच्छापत्र दिनांक 06.05.96 अंतिम इच्छापत्र है या प्रथम है, सही है या फर्जी है, यह सारे तथ्य वादी को प्रमाणित करने हैं और जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक इच्छापत्र में वर्णित सम्पत्ति जो प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में है, को वादी प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार वादी का वाद मुख्य रूप से इच्छापत्र को सही घ ोषित कराना और कमरों के आधिपत्य से संबंधित है जिस पर न्यायशुल्क दिया जाना आवश्यक है। वादी ने वाद का मूल्यांकन वादपत्र के पद संख्या 7 में किया है और कितनी न्यायशुल्क पेश की है, इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख वादपत्र में नहीं किया है। वादी ने वाद का मूल्यांकन 5,00,400/—रुपये नियत किया है जिसकी न्याय शुल्क 33,400/—रुपये होता है जो अदा नहीं किया गया है। न्यायशुल्क का बिन्दु पब्लिक फंड से संबंधित है। न्यायशुल्क अदा किया जाना आवश्यक है। वादी को न्यायशुल्क 33,400/—रुपये अदा करने का आदेश फरमाया जावे। अदा नहीं करने पर वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब देते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से यह कथन किया गया कि उक्त जायदाद संयुक्त स्वामित्व की होने से तथा वादग्रस्त जायदाद का हिस्सा किस किस के हिस्से में रखा है, यह वसीयतनामा में अंकित किया हुआ था, इसलिये विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। मुख्य अनुतोष विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है। इच्छापत्र के संबंध में कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है तथा वाद

विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित होने से उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है। न्यायालय के द्वारा न्यायशुल्क सही होने पर ही वाद दर्ज किया गया है। वाद का मूल्यांकन विभाजन के लिए पांच लाख रुपये आंका गया है तथा विभाजन के वाद में न्याय शुल्क 200/–रुपये फिक्स होने से तथा स्थाई निषेधाज्ञा का मूल्यांकन 400/–रुपये कायम किया गया जिस पर न्यायशुल्क 10/–रुपये, कुल 210/–रुपये के न्यायशुल्क अनुतोष अनुसार सही अदा किया गया है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्तागण उभयपक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ''2014 (1) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 53'',''2015 (2) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 503'', ''2012 (3) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 1410'', ''2012 (1) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 62'', ''2011 (3) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 1069'', ''2011 (1) डी.एन.जे. पेज 344'' पेश किये गये।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह सही है कि वादी के द्वारा वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है तथा आदेश 07 नियम 11 सि.प्र.सं. में न्यायालय न्यायशुल्क अदा करने का आदेश दे सकता है और आदेश के उपरांत विहित अवधि में न्यायशुल्क पेश नहीं होने पर वाद को निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में न्यायशुल्क को विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न माना है तथा इस संबंध में प्रतिवादी अपने जवाबदावे में भी उज्र ले सकता है, जिस बाबत् तनकी कायम की जाकर निस्तारण किया जा सकता है। वाद के प्रारम्भिक स्तर पर केवलमात्र वादपत्र का ही अवलोकन किया जाना है। उक्त वाद में निर्धारित कार्यालय रिपोर्ट के पश्चात् ही दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुरूप सम्पत्ति से हितबद्ध सभी पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके बावजूद वादी की ओर से विवादग्रस्त सम्पत्ति से हितबद्ध दौलतसिंह उर्फ दलसिंह पिता मानसिंह को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिस कारण उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत खारिज फरमाया जावे

इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर अप्रार्थी वादी की ओर से मौखिक तर्क देते हुए यह कथन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सि.प्र.सं. की परिधि में नहीं आता है। यदि वाद में कोई आवश्यक पक्षकार रह जाता है या गलत पक्षकार बन जाता है तो उसके लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता में प्रावधान दिये गये हैं। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान के तर्कों को सुना। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को तर्कों का आधार बनाया गया। जबकि अप्रार्थी/वादी की ओर से अपने मौखिक तर्कों को पुनः दोहराया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन करने तथा आदेश 07 नियम 11 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आदेश 07 नियम 11 में वादपत्र के निरस्तीकरण बाबत् ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है। साथ ही यदि कोई पक्षकार मुकदमे में आवश्यक पक्षकार बनने से रह जाता है या गलत रूप से संयोजित हो जाता है तो इस बाबत् सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान वर्णित हैं जिनके तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आदेश किया जा सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। साथ ही अधिवक्तागण को निर्देश दिये जाते हैं कि उन्हें जवाबदावा पेश करने हेतु आज अंतिम अवसर दिया गया था, परन्तु जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर उनकी ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें आगामी पेशी तक का समय जवाब हेतु इस दिशानिर्देश के साथ दिया जाता है कि आगामी पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदावा प्रतिवादी स्वतः बंद समझा जावेगा, चाहे उनके द्वारा अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी क्यों न किया गया हो।

4	खेमराज बनाम मांगीलाल नियमित दीवानी प्रकरण संख्या 11/2018	

	पत्रावली वास्ते जवाबदावा में अंतिम अवसर सहित दिनांक 06.02.2020 को पेश हो।	